

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 4 (453)आयुशि/वि.सं./2010/294

दिनांक - 27-6-18

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय के साथ 2010-17, 2017-18 एवं 2018-19, (तीन वर्ष) के लिये स्वातंत्र्योत्तर क्रमोन्मयन स्तर पर अर्थात् अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के नीचे प्रदान किया जाता है:-

महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विभाग/ संकाय
श्रीमती पद्मदेवी रामेश्वरलाल शर्मा महाविद्यालय चित्तौड़गढ़, झुझुनु।	पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रेयावती विश्वविद्यालय, सीकर/ राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	स्वातंत्र्योत्तर क्रमोन्मयन स्तर पर एम.ए. - भूगोल, राजनीति विज्ञान भाषाशास्त्र, इतिहास, हिन्दी अंग्रेजी स्कृत। एम.कॉम- लेखा एवं सांख्यिकी, यवसायिक प्रशासन। एम.एस.सी.- रसायनशास्त्र, एनरपतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, भौतिकशास्त्र, गणित।

1. संस्था सन् 2019-20 में निर्धारित अधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अर्पण करेगी।
2. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा लिखित महाविद्यालय के प्रदर्शन में नीचोसीआई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
3. संकाय/ विभागवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग को सूचित किया जाएगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तब सशर्त सीटों में प्रवेश दिया जायेगा।
4. संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति परचात तीन सत्रों में मान्यदण्डानुसार स्वयं भी सुविधाएं महाविद्यालय, भवन (विभाग द्वारा तब मान्यदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
5. संबंधित संस्था द्वारा भूमि अधिग्रहण अवश्य करवाया जायेगा इसके अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
6. महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय/ नगर निकाय के माध्यम से किया जायेगा।
7. संस्था द्वारा मूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य उन्नीसपेक्षा स्टाफ में नियुक्ति की जानी होगी।
8. संबंधित विश्वविद्यालय से स्टाफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
9. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/ महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/ महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चलाया गया अगिलेख उपलब्ध करेगा।
10. संस्था द्वारा संस्थाधीन जमा के रूप में जमा कराये गये सूक्ष्म संचय को प्रत्येक 5 वर्ष में समीक्षा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
11. संस्था सांख्यिकी पुस्तिका एवं वित्तवर्षिक प्रतिवर्ष पूर्ण रूप से भरकर निरस्त सम्मानधि में आयुक्तालय में जमा करवायेगी।
12. मान्यदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.rajniti.an.gov.in पर उपलब्ध है।
13. संस्था द्वारा एन0एस0एस/ एन0सी0सी/ सेवरिंग एवं रेजिडिंग (स्कॉलर/ गार्ड) में से किसी भी एक सहसंचालक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन0एस0एस0, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित दिसावर तक करवायेगी।
14. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2015-18 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
15. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय का 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
16. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्ट्रार करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।

उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर अर्थात् अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

- प्रतिआवे निम्नलिखित को सूचना एवं आदेशक को भेजा है।
1. निरीक्षक सहायक सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 3. जिला कलेक्टर, सीकर।
 4. मुख्य सचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रेयावती विश्वविद्यालय सीकर/ राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर।
 5. सम्बन्धित संस्था/ महाविद्यालय।
 6. सांख्यिकी सहायक, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 7. संबंधित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक (वि0स0)



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 (453)आकाशि/नि.सं./2010/152

दिनांक:- 23-07-2021

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2019-20 एवं सत्र 2020-21 (दो सत्रों) के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्व संचालित संकाय व विषय में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	पूर्व संचालित संकाय व विषय
श्री रामेश्वरलाल शर्मा ग्रामीण विकास एवम् अनुसंधान संस्थान, चिड़ावा, झुन्झुनू।	श्रीमती पाना देवी रामेश्वरलाल शर्मा महाविद्यालय, अडूका, चिड़ावा, झुन्झुनू।	पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।	स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान। (एम.ए.) रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र। (एम.एस.सी.)


1. संस्था प्रत्येक सत्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
2. संस्था सत्र 2021-22 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।
3. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
5. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
6. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
7. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2019-20 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
10. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएँ निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगी।
12. संस्था सत्र 2021-22 में भूमि रूपान्तरण, भवन व शैक्षणिक स्टाफ संबंधी मापदण्ड पूर्ण करे अन्यथा सत्र 2021-22 से स्नातकोत्तर विषयों की अनापत्ति प्रमाण-पत्र क्रमिक रूप से निरस्त कर दी जावेगी।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।


आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा10 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, झुन्झुनू।
5. कुल सचिव, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
6. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त-निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर



क्रमांक: एफ4 (453)आकाशि/नि.सं./2010/778

दिनांक-18-04-2022

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2021-22 (एक सत्र) के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्व संचालित विषयों में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	पूर्व संचालित विषय
श्री रामेश्वरलाल शर्मा प्रायोगिक विकास एवम् अनुसंधान संस्थान, चिड़वा, झुन्झुनू।	श्रीमती पाना देवी रामेश्वरलाल शर्मा महाविद्यालय, अड्डका, चिड़वा, झुन्झुनू।	परिष्कृत दीनदयाल उपाध्याय शैखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।	स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान। (एम.ए.) रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र। (एम.एस.सी.)

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
2. संस्था सत्र 2022-23 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।
3. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
5. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
6. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में पेंटररी/आर्ट्स के मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
7. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तब संस्था सीमा में ही प्रवेश दिया जागा सुनिश्चित करेगी।
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हतापारी प्राचार्य एवं व्यवस्थापकों तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2021-22 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
10. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक साक्ष्यकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएँ निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगी।
12. संस्था स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधी समस्त अद्यतन मापदण्डों की पूर्ति करना सुनिश्चित करे अन्यथा सत्र 2022-23 से संस्था का उक्त विषय/संकाय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र क्रमिक रूप से निरस्त कर दिया जावेगा। अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में सत्र 2022-23 से उक्त विषय/संकाय में नवीन प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में दिये गये नवीन प्रवेश की समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी। विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय में उक्त विषय/संकाय में प्रवेशित नवीन विद्यार्थियों को अनियमित किये जाने से होने वाले शैक्षणिक प्रकरणों का उत्तरदायित्व भी संस्था का होगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

निम्नलिखित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, गान उच्च शिक्षा मंत्री मंडल, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. शिक्षा कलेक्टर, झुन्झुनू।
5. कुल सचिव, परिष्कृत दीनदयाल उपाध्याय शैखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
6. सचिव, संबंधित महाविद्यालय।
7. सहायकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. सहायक मंत्रालय।

24/3/22

संयुक्त-निदेशक (नि०सं०)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर